9. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

पात्रता

1 इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेंगी।

2 इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता पिता/ संरक्षक होगे।

3 यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या सतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।

4 सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर|

5 अन्त्योदय परिवार आस्था कार्डधारी परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर

6 महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर

7 इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी

I. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
II. विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
III. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

8 ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त वर्णित अनुसार पात्रताधारक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

9 ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रुपये (50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है के विवाह किसी सरक्षक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

10 जिन कन्या सतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या सतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

देय लाभ

देय सहायता राशि का विवरण :–

क. सं.	पात्रता	हथलेवा राशि	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000/–	–	31,000/–
		31,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	41,000/–
		31,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	51,000/–
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोडकर शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–
3.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–
4.	महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–
5.	पालनहार में लाभार्थियों वे कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000/–	–	21,000/–
		21,000/–	10,000/– (10वी पास कन्या)	31,000/–
		21,000/–	20,000/– (स्नातक पास कन्या)	41,000/–

आवेदन

आवेदन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने पर इच्छुक छात्र ई- मित्र /SSO आईडी के द्वारा पोर्टल SJMS पर जनाधार के माध्यम से कर सकते हैं।